Form No. III

फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

शान्तिलाल बनाम **लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी आकोला जिला चित्तौड़गढ़**

कार्यवाही अन्तर्गत :– धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)**	नं0 **022**	सन् **2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.03.2023	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी शान्तिलाल पिता अमराजी भाम्बी निवासी बुनकर मौहल्ला आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन दिनांक 30.11.2022 जरिये रजिस्टर्ड डाक के लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी आकोला तहसील भूपालसागर को प्रेषित किया। लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी आकोला द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील खण्ड विकास अधिकारी भूपालसागर को दिनांक 17.01.2023 को जरिये रजिस्टर्ड डाक के प्रेषित की गई। अपीलार्थी को अपने आवेदन दिनांक 30.11.2022 से वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने से उक्त द्वितीय अपील इस न्यायालय को प्रेषित की गई है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी आकोला** को आवेदन दिनांक **30.11.2022** प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को वांछित सूचना **लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी आकोला** से प्राप्त नहीं होने पर अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील **खण्ड विकास अधिकारी भूपालसागर** प्रेषित की गई है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील का विनिश्चय नहीं किये जाने से उक्त द्वितीय अपील इस न्यायालय को प्रेषित की गई है। यहॉ उल्लेखनीय है कि यह न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है एवं द्वितीय अपील ग्रहण किये जाने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। हस्तगत प्रकरण में उक्त द्वितीय अपील **लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी आकोला** एवं **प्रथम अपीलीय प्राधिकारी खण्ड विकास अधिकारी भूपालसागर** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं **लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी** लोक सूचना अधिकारी(राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते है एवं इस न्यायालय को द्वितीय अपील ग्रहण किये जाने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में **लोक सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी आकोला** एवं **प्रथम अपीलीय प्राधिकारी खण्ड विकास अधिकारी भूपालसागर** के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- (अरविन्द कुमार पोसवाल) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 01.03.2023 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	